

समाचार
कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों पर 43500 रु. अर्थदण्ड



कोरबा 12 अप्रैल 2021 —मास्क न लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने, कोरोना प्रोटोकाल तोड़ने पर नगर निगम अमले द्वारा आज 43500 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार निगम के कोरबा जोनांतर्गत में 7300 रुपये, टी.पी.नगर जोनांतर्गत 15000 रुपये, कोसाबाड़ी जोनांतर्गत 8200 रुपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1700 रुपये, बालको जोनांतर्गत 1300 रुपये, दर्री जोनांतर्गत 5300 रुपये, बांकीमांगरा जोनांतर्गत 1100 रुपये तथा सर्वमंगला जोनांतर्गत 1900 रुपये का अर्थदण्ड लगाया गया।